



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 जनवरी, 2021

पौष 23, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 122/77-3-2021-140(एम)-2020

लखनऊ, 13 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0-4

चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 2026/77-3-2019-140(एम)-2019 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 लोक प्रयोजन, अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के माध्यम से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए तहसील ताखा, परगना भरथना, जिला इटावा के ग्राम ताखा में 0.5322 हे०, बेलाहार में 0.8470 हे०, कुदरैल में 0.1605 हे०, और ककराई में 0.0304 हे०, कुल 1.5701 हे०, भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी और अंततः दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित की गयी थी। उप कलेक्टर/सहायक कलेक्टर, तहसील ताखा, जिला इटावा को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अतएव, अब, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित कुल 1.4096 हेक्टेअर भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम-शून्य, परगना-शून्य और जिला-शून्य में शून्य हेक्टेअर भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ चिन्हांकित की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अग्रतर इटावा के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अर्जन में कोई परिवार विस्थापित नहीं हुआ है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित किये जाने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

**अनुसूची "क"
प्रस्तावित अर्जन के अधीन भूमि**

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
इटावा	ताखा	भरथना	ताखा	3839	0.0010
				1515	0.0450
				2947	0.0070
				2948	0.0090
				3780	0.1928
				1620	0.1220
				1618	0.0047
				1461	0.0350
				1617	0.0052
				1522	0.0535
				1520	0.0570
				योग	0.5322
इटावा	ताखा	भरथना	बेलाहार	2067	0.0280
				1522	0.2390
				1521	0.0610
				1520	0.2010
				1557	0.0170
				1680	0.2650
				1665	0.0030
				1174	0.0070
				403	0.0260
				योग	0.8470
इटावा	ताखा	भरथना	ककराई	504	0.0147
				505	0.0091
				506	0.0026
				518	0.0004
				520	0.0036
				योग	0.0304
महायोग-					1.4096

अनुसूची "ख"

विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर इटावा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 122/LXXVII-3-2021-140(M)-2019, dated January 13, 2021:

No. 122/LXXVII-3-2021-140(M)-2019

Dated Lucknow, January 13, 2021

WHEREAS preliminary notification no 2026/LXXVII-3-2019-140(M)-2019 dated October 14, 2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) hereinafter referred to as the "said Act", in respect of total 1.5701 Hectares of land required in the village Takha area 0.5322 Hectares, Belahar area 0.8470 Hectares, Kudrail area 0.1605 Hectares, and Kakrahi area 0.0304 Hectares, pargana Bharthana, Tehsil Takha, district Etawah for public purpose, namely Bundelkhand Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) and lastly published on 23 October, 2020. Deputy Collector/Assistant Collector Tehsil Takha, district Etawah was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector submitted in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that she is satisfied that total 1.4096 hectares of land mentioned in Schedule A below is needed for public purpose and land to the extent of nil Hectare in the Village-nil, Pargana-nil and District-nil as given in Schedule B has been identified for rehabilitation and resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector of Etawah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No family is displaced in land acquisition for Purvanchal Expressway. Hence, there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme.)

SCHEDULE A

Land under Proposed Acquisition

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot No.	Area to be acquired (in hect.)
1	2	3	4	5	6
Etawah	Takha	Bharthana	Takha	3839	0.0010
				1515	0.0450
				2947	0.0070

1	2	3	4	5	6
				2948	0.0090
				3780	0.1928
				1620	0.1220
				1618	0.0047
				1461	0.0350
				1617	0.0052
				1522	0.0535
				1520	0.0570
				Total	0.5322
Etawah	Takha	Bharthana	Belahar	2067	0.0280
				1522	0.2390
				1521	0.0610
				1520	0.2010
				1557	0.0170
				1680	0.2650
				1665	0.0030
				1174	0.0070
				403	0.0260
				Total	0.8470
Etawah	Takha	Bharthana	Kakrai	504	0.0147
				505	0.0091
				506	0.0026
				518	0.0004
				520	0.0036
				Total	0.0304
Grand Total					1.4096

SCHEDULE B

Land Identified as Settlement Area for Displaced Families

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation (in hect.)
1	2	3	4	5	6
ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO

Note :- A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Etawah for the purpose of acquisition.

By order,
ALOK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.